ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-3* Issue-9* December- 2018
Anthology : The Research

पंचायतीराज संस्थाएँ एवं महिला सहभागिता

सरिता स्वामी
सहायक प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान विभाग,
शासकीय महाविद्यालय,
दल्ली राजहरा,
बालोद, छत्तीसगढ़

सारांश

पंचायतीराज की व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता से उनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। वह समाज में अपना अलग स्थान बना रही है। सत्ता में भागीदारी से उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। वह अपने अधिकारों को जानने में सफल हुई है। भारतीय राजव्यवस्था में पंचायतीराज संस्थानों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनको ग्रामीण स्वशासन का आधारस्तंभ भी कहा जा सकता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज के सभी निकायों को अधिक प्रभावी बनाकर संपूर्ण भारत में इनके स्वरूप को एकरूपता देने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द : पंचायती राज व्यवस्था, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण।

प्रस्तावना

भारत में पंचायती राज की अवधारणा नई नहीं है। भारत सदैव ही गांवों का देश रहा है। इसलिये आदिकाल से ही पंचायती राज संस्थाएँ किसी न किसी रूप में विद्यमान रही हैं। वर्तमान में पंचायती राज शब्द का उद्य श्री बलवंतराय मेहता के लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण प्रतिवेदन से हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर 1959 से अपनाया गया। इस व्यवस्था की कमियों को देखने के बाद इन कमियों को दूर करने के लिये 1993 में 73 वाँ संविधान संशोधन पारित किया तथा 11 वीं अनुसूची की व्यवस्था कर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

पंचायती राज संस्थानों के वर्तमान स्वरूप में एकरूपता लाने, उनको सुसंगठित एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में संशोधन करके ''पंचायती राज अधिनियम 1993'' को कियान्वित किया। जिसमें राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया कि पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुरूप स्थानीय निकायों की स्थापना करें। पंचायत शब्द संस्कृत भाषा के पंचायतन शब्द से लिया गया है, जिसके अनुसार किसी आध्यात्मिक पुरूष सहित पाँच पुरूषों के समूह अथवा वर्ग को पंचायत माना गया। गांधी जी ने इसकी व्याख्या करते हुये कहा कि पंचायत का शाब्दिक अर्थ ग्राम निवासियों द्वारा चयनित पाँच जन प्रतिनिधियों की सभा से है।

वर्तमान पंचायती राज का आशय यह भी हो सकता है :–

1. पंचायती राज की अवधारणा में, राजनीति नौकरशाही तथा सामाजिकता से सम्बद्ध है।
2. पंचायती राज ग्रामों तक राजनीतियों के बीच अनुकूलता स्थापित करने के लिये लोकतंत्र का विस्तार है।
3. नौकरशाही पंचायती राज को स्थानीय स्तर तक प्रशासन का विस्तार मानती है।

भारतीय प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में ग्रामीण प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तथ्य मिलते है, जैसे कि विशपति (राजा) संप्रभु अधिकारों पर रोकथाम के लिये समिति सभा तथा परिषदें होती थी तथा राजा का चुनाव भी जन इच्छा से प्रकट किया जाता था। महाभारत काल में राजा का चुनाव होता था जिसमें वृद्धों का सभा में रहना अनिवार्य था। इसकाल के मंत्रिपरिषद के ढांचे में चार ब्राम्हण, चार क्षत्रिय, इक्कीस वैश्य, तीस दलित तथा एक शूद्र होता था, जो राजा के द्वारा असीमित शक्ति प्राप्त करने पर रोक लगाने का कार्य करते थे। मनुस्मृति के अनुसार ग्राम सबसे छोटी इकाई होती थी, इसका प्रबंधक ग्रामणी कहलाता था।

कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में इसी प्रकार की ग्रामीण स्वशासित व्यवस्थाओं का जिक्र किया है। विभिन्न परिवारों का मुखिया शासक वर्ग होता है ऐसे कई परिवार मिलकर विश का निर्माण करते है। इन्होंनें नगर प्रतिनिधियों की बात भी कही है जिनकी सत्ता में भागीदारी पंचायती राज को दर्शाता है। मोहन जोदड़ो और हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में अवशेष मिले उनमें नाली व सड़कों का निर्माण पाया गया। इससे भी पंचायती राज का विद्यमान होना निश्चित कहा गया।

पंचायती राज एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व जिला परिषद आती है। पंचायती राज दूरगामी परिणामों से युक्त एक ऐसा मिश्रित विषय है जिसके विभिन्न रूप, पद्धतियाँ तथा विकल्प हो सकते है। महिलाओं के लिये ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका आदि सभी स्तरों पर 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण के आधार पर महिला भागीदारी संवैधानिक रूप से सुनिश्चित कर दी गई है। महिला पंच, सरपंच एवं नगरीय निकाय की संस्थाओं के अन्य महिला प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों को पुरूष प्रधान राजनैतिक व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाने के लिये खड़ा कर दिया है। ये महिलायें अनेक स्थानों पर सफलता पूर्वक कार्य कर रही है तथा उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है।

महिलाओं की सुविधा के लिये उनसे सम्यक ढंग से कार्य करवाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न योजनायें मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में चलाकर उनकी स्थिति को सुदृढ़ किया जा रहा है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों के द्वारा 5 वर्ष तक के बच्चों को पौष्टिक आहार, गर्भवती महिलाओं के जच्चा बच्चा स्वास्थ्य के लिये मितानिन योजना चलाई जा रही है। बच्चों के लिये पौष्टिक आहार एवं आवश्यक दवाई वितरित की जा रही है। महिलाओं को परिवार नियोजन पर बल दिया जा रहा है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये ग्रामीणों के अंधविश्वास को दूर करते हुये ग्रामीण चिकित्सालय की व्यवस्था भी की गई है।

बालिका शिक्षा की योजना चलाकर उनको शिक्षित किया जा रहा है तथा सरस्वती योजना द्वारा बालिकाओं को निःशुल्क साइकिलें भी वितरित की जा रही है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिसमें 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिये 350 रू. प्रतिमाह पेंशन राशि प्रदत्त की जा रही है। इसी तरह निराश्रित महिला चाहे वह किसी भी वर्ग की हो उन्हे 3 रू. प्रति किलों के हिसाब से 35 कि. चांवल तथा 350/– रू. पेंशन दिया जा रहा है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जिसे 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ किया गया। इस योजना से महिलाओं को बचत तथा जमा के लिये प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। इस योजना से आवर्ती निधि, बैंक ऋण तथा सब्सिडी के रूप में सहायता देकर सरकार महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत अटल आवास योजना जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिये मकान का निर्माण करने के लिये सहायता कराई जाती है जिसमें विधवाओं और अविवाहित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

चरण पादुका योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता कार्य से जुड़े हुये श्रमिकों को भी सरकार द्वारा चरण पादुका वितरित करके यह योजना चलाई जा रही है। अन्नपूर्णा दालभात केन्द्र जिसमें 5 रू. में भरपेट भोजन की व्यवस्था की जा रही है। इसी तरह कुटीर उद्योग के द्वारा भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनायें चलाई जा रही है। जहाँ पर पर्याप्त सुविधायें शासन के द्वारा दी जा रही है, वहाँ यह योजनायें चल रही है परन्तु जहाँ सुविधायें उपलब्ध नही हो पा रही है वहाँ पर कुछ योजनायें बंद भी हो गई है। अतः शासन की नीतियों को अच्छी तरह विकसित किये जाने की जरूरत है साथ ही अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों का सहयोग इन योजनाओं को मिले तो निश्चित रूप से ये योजनाएँ ग्रामीण विकास में सहायक होगी।

आज छत्तीसगढ़ के लगभग एक तिहाई ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में शासन की बागडोर महिलाओं के हाथों में है। शासन के इस प्रयास से महिलाओं में जागरूकता आई है। उनकी स्थिति में सुधार हुआ है तथा उनके आत्म विश्वास में भी बढ़ोत्तरी हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की सुरक्षा मिलने के साथ ही महिलाओं के राजनैतिक समाजीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है।

आज पंचायती राज की इस व्यवस्था से पुरूष प्रधान समाज में लंबे समय से उपेक्षा की शिकार तथा उन्ही के निर्देश पर चलने वाली उपेक्षित महिलाओं के लिये पंचायतों व स्थानीय निकायों में अपने लिये आरक्षित पदों के माध्यम से समुचित होना सुखद है। महिला ने अपनी शक्ति को पहचाना है। महिला सरपंचों की प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी तथा अन्य संस्थाओं से सम्पर्क निरन्तर बढ़ता जा रहा है। अब महिला ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। महिला प्रतिनिधित्व के कारण सार्वजनिक विषय तथा निर्णयों पर विचार विमर्श का

दायरा रसोई घर तक पहुँच गया है जो पहले चौपालों तक ही सीमित था।

महिलाओं की भागीदारी का स्तर तथा उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु चालू कार्यक्रमों की विषय वस्तु तथा क्षेत्र की समीक्षा करने के लिये संस्थागत तंत्र की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महिला घटकों का कार्य करने के लिये प्रत्येक जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी में महिला प्रकोष्ठ बनाया गया है। वर्तमान में महिलाओं का समाज में कही बेहतर स्थान है। आज वह हर क्षेत्र में प्रगति कर रही है। आने वाला समय महिला प्रधान ही होगा।

विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रम के कियान्वयन के पश्चात महिलाओं की सहभागिता समाज में महत्वपूर्ण होती जा रही है। परंतु निम्न सुझावों को अपनाने पर महिलाओं की स्थिति और भी सुदृढ़ हो सकती है।

सुझाव

1. महिलााओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा में सहभागिता निश्चित की जाये।
2. ऐसा वातावरण दे कि वह स्वयं सामाजिक और आर्थिक नीतियाँ बना सके।
3. महिलाओं को मानव अधिकार के उपयोग में सक्षम बनाना।
4. महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया जाये एवं इस हेतु सशक्त प्रयास किया जाये।
5. महिला प्रतिनिधियों को उनके दायित्वों एवं शक्तियों की जानकारी व प्रशिक्षण दिया जाये।
6. महिलाओं के लिये शिक्षण प्रशिक्षण के लिये स्थानीय महिला प्रशिक्षिका रखी जाये।
7. महिला अपना संगठन बनाये।
8. राष्ट्रीय महिला कोष का प्रचार–प्रसार किया जाये तथा इससे अधिक ऋण उपलब्ध किया जाये।
9. महिलाओं को सामाजिक बुराईयों को दूर करने के लिये जनजागरण अभियान चलाने चाहिये एवं 33 प्रतिशत स्थान शीर्ष से सत्ता में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाये।
10. महिला को इतना आत्म निर्भर बनाना कि निठारी जैसे कांड न दुहराये जाये।
11. सरकार द्वारा महिला नेतृत्व को पुष्ट करने के लिये सरकारी प्रयास के आलावा स्थानीय लोगों और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा महिलाओं के छोटे–छोटे समूह बनाकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाये।

आज महिलाओं की कार्यक्षमता को देखते हुये पुरूषों ने विवश होकर ही सही स्वतंत्रता व अधिकार दिये है। अतः महिलाओं का कर्तव्य है कि वह अधिकार व स्वतंत्रता का सदुपयोग करें तथा समाज, राज्य और देश के विकास में ज्यादा भागीदारी बने।

संदर्भ सूची

1. *भारत में पंचायती राज – श्री बी.एन.कौशिक*
2. *पंचायती राज व्यवस्था – श्री पी.एन.शर्मा*
3. *लोकतंत्र समस्या एवं चुनौतियाँ – श्री ए.एस.नारंग*
4. *भारतीय समाज संस्कृति एवं समाजिक संस्थायें – श्री दिनेश चंद्र भारद्वाज*
5. *ग्राम विकास कार्यक्रमों पर एक नजर – भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय*
6. *पंचमन मासिक पत्रिका – भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय*
7. *छत्तीसगढ़ शोध उपक्रम – रायपुर*
8. *टाइम्स ऑफ इण्डिया*
9. *रचना द्विमासिक पत्रिका*
10. *प्रतियोगिता दर्पण*